बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–90 / 2019 - 5139 / पटना, दिनांक– 24/9/2019

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

SL. NO	Name of Division	Block	Name of Road	Length (In KM)	Cost of Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakhs)	Cost of 5-years Maintenance (in Lakhs)	Cost of Emergent Repair (10%) In Lakhs	Total Estimated Cost (In Lakhs)
1	Siwan-2	Ziradei (Andhar)	Surwal to Repura Path	2.000	40.51800	19.27900	4.05180	63.84880
2	Siwan-2	Ziradei (Andhar)	Barhuliya se Bharoli tak	4.350	89.05900	42.29300	8.90590	140.25790
3	Siwan-2	Ziradei (Andhar)	Maniya to Santhu	5.300	103.77300	44.33200	10.37730	158.48230
4	Siwan-2	Ziradei (Andhar)	Harpur to vikaur	5.900	123.72000	60.64400	12.37200	196.73600
5	Siwan-2	Ziradei (Andhar)	T05 to Repura	1.300	26.83900	12.84800	2.68390	42.37090
6	Siwan-2	Guthani	PWD Tekniya se Araji English	3.400	73.77000	34.23300	7.37700	115.38000
7	Siwan-2	Guthani	Sarwar Gondi To Chilmarawan	3.750	80.63000	37.21500	8.06300	125.90800
8	Siwan-2	Guthani	Jatuar To Pachnaura	4.450	98.48800	47.00700	9.84880	155.34380
9	Siwan-2	Guthani	L032 Balua Gyaspur	2.750	55.83500	25.57100	5.58350	86.98950
10	Siwan-2	Guthani	Guthani Sohagra To Srikalpur	1.000	20.59900	7.06200	2.05990	29.72090
11	Siwan-2	Guthani	Maritar To Dumrah	2.000	38.93200	17.90400	3.89320	60.72920
12	Siwan-2	Guthani	Guthani Mairwa Path Se Khap Jatpur	1.050	22.49800	10.57300	2.24980	35.32080
13	Siwan-2	Guthani	Guthni Sohagra To Dharampur	1.200	23.86500	10.73900	2.38650	36.99050

23/9/19

आतंरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

14	Siwan-2	Guthani	T01 To Dhikhor	1.100	24.42300	11.02600	2.44230	37.89130
15	Siwan-2	Nautan	L026 to Nautan to Kurmauta (VR10)	2.500	53.08500	26.02800	5.30850	84.42150
16	Siwan-2	Nautan	REO Road Gosai Tola to Kathaiya	1.800	50.33400	19.21500	5.03340	74.58240
17	Siwan-2	Andar	CONS./IMP of Sonkra to Sonkra Auwal	2.150	46.31600	22.99700	4.63160	73.94460
18	Siwan-2	Darauli	To2 Sarai Via Safi tola to amarpur	3.200	69.40900	34.85100	6.94090	111.20090
19	Siwan-2	Darauli	PWD Path se Taruwan Taruwani	3.900	84.90000	42.45800	8.49000	135.84800
20	Siwan-2	Darauli	PWD to Mathiya Buzurg	4.700	103.79000	51.01400	10.37900	165.18300
21	Siwan-2	Mairwa	Babhanauli To Bargawa Tak Via Kathauliya	6.100	129.51600	62.75800	12.95160	205.22560
Total				**63.900**	**1360.29900**	**640.04700**	**136.02990**	**2136.37590**

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, सिवान–2** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं / विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBDआधारित ई–निविदा से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64 / 2019** में दिनांक **05.09.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक– 13/5/2019 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–90 / 2019** में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRIकैटगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की

10. बिहार कोषागार संहिता निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रुप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका **संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–90/2019** के पृ0–12/टि0 पर दिनांक–20.9.19. को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

23/9/19

(संजय दूबे)

अपर सचिव

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **सिवान–2** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/9/19

अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–**90**/2019 5139/पटना, दिनांक– 24/9/19

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **तिरहुत**/जिला पदाधिकारी, **सिवान** /उप विकास आयुक्त, **सिवान** अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–3** एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **सिवान**/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **सिवान–2** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/9/19

अपर सचिव